रूप-पत्र 11 (नियम 41 और 45 देखिये)	रूप पत्र 11 (उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम,1948 के नियम 41 और 45 देखिये) कर निर्धारण तथा कर चुकाने की मांग की सूचना
पुस्तक संख्या..... क्रम संख्या..... 1.व्यापारी का नाम..... 2.व्यापारी का नाम..... 3. विक्रय-धन.....रू. 4.कर जो निर्धारित किया गया.....रू. 5.अब तक भुगतान किये गये कर की धनराशि.....रू. 6. देय शेष.....रू. तामील करने की तारीख..... फाईल की संख्या और वर्ष..... ..... व्यापार कर अधिकारी	पुस्तक संख्या.....क्रमसंख्या..... सेवा में, श्री.....(व्यापारी) (1) आपको यह सूचना दी जाती है कि उत्तर प्रदेश व्यापार-कर ऐक्ट,1948 के अधीन.....रू. के विक्रय धन पर..... रू. (शब्दों में).....का कर 31 मार्च, 19..... को समाप्त होने वाले मास के लिए आय कर निर्धारित या सामयिक रूप से निर्धारित किया गया है। (2) इस कर में.....रू..जिसे आप अदा कर चुके हैं, सम्मिलित है और शेष धनराशि जो आपको अब देनी है वह केवल रूपया (शब्दों में).....है (3) आपको यह कर/शेष धनराशि इस सूचना के मिलने के तीन दिन के भीतर अदा कर देनी होगी। (4) आपको यह कर ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर और नियम 48 में नियत रीति से अदा करना होगा, अदा न करने पर यह धनराशि उसी प्रकार वसूल की जायेगी मानो यह मालगुजारी की बकाया हो और आप पर एक्ट की धारा 14 के अधीन मुकदमा चलाया जा सकेगा और ऐक्ट की धारा 15-क के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी। (5) यदि इस मांग के नोटिस की शर्तो के अनुसार देय कर का भुगतान ऊपर निर्दिष्ट समय की समाप्ति के पश्चात छ: महीने तक न किया जाए, तो आपको ऐसा भुगतान न करने के परिणाम स्वरूप 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज भी देना होगा, जो पैरा 3 में निर्दिष्ट समय की समाप्ति के दिनांक को देय धनराशि पर लिया जायेगा और सभी प्रयोजनों के लिए कर का भाग समझा जायेगा। कर निर्धारण आज्ञा की एक प्रतिलिपि संलग्न है। स्थान..... तारीख.....व्यापार कर अधिकारी मुहर